राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:– एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2023/ 617 दिनांक:– 03.07.2024

ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी,
ब्लॉक समस्त।

विषयः– जन्म–मृत्यु एंव विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों के लिए निर्देश।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्य को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने, कार्य में समरूपता लाने एवं समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके इस उद्देश्य से ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ब्लॉक में रजिस्ट्रीकरण कार्य के त्वरित निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया हुआ है। इन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को उनके क्षेत्र की अधिकारिता अर्न्तगत रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के पासवर्ड री–सेट करने, पहचान पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड करवाने के उपरान्त इसका अनुमोदन एवं पंजीकृत घटनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन के लिए अधिकृत किया हुआ है। साथ ही जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के भी अधिकार भी दिये गये हैं।

आमजन की सुविधा हेतु वेब पोर्टल "पहचान" के माध्यम से जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का ऑनलाईन कार्य किया जा रहा है और ई–साईन युक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जा रहें है। आमजन द्वारा जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्रों में आंशिक संशोधन हेतु रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं ग्राम विकास अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त आवेदन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है एवं इनके द्वारा अपनी अनुशंषा सहित संशोधन के आवेदन को जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं संयुक्त/उपनिदेशक को अग्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा संशोधन हेतु अनुमोदन किया जाता है। जिसके पश्चात रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा प्रमाण पत्रों में संशोधन किया जाता है।

परन्तु निरीक्षण एवं समीक्षा उपरांत संज्ञान में आया है कि रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों के पास संशोधन की रिक्वेस्ट भिजवाये जाने पर उनके द्वारा प्राप्त रिक्वेस्ट को स्वंय के स्तर पर लम्बित रखा जाता है और अनुशंषा सहित जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को अग्रेषित नहीं किया जाता है, जिससे समय पर प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा अपने कार्यो का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है।

RajKaj Ref
8466021

अतः जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्य को अधिक सुगम बनाने और कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करेगें:–

1. रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) से प्राप्त संशोधन की रिक्वेस्ट का निस्तारण हेतु अविलम्ब जिला रजिस्ट्रार को प्रेषित करना और अनुमोदन उपरांत रजिस्ट्रार से समन्वय कर प्रकरण का 3 दिवस में निस्तारण करवाना।
2. ब्लॉक स्तर पर प्राप्त संशोधन की रिक्वेस्ट, निस्तारण, पेंडिंग का दिनांकवार रजिस्टर संधारित करना।
3. पहचान पोर्टल पर लम्बित ई–साईन एवं अन्य पेंडेंसी का निस्तारण करवाना।
4. विशिष्ट प्रकरणों मे कारण सहित जनाधार शिथिलता प्रदान करना एवं दिनांकवार रजिस्टर संधारित करना।
5. रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पहचान पोर्टल पर पासवर्ड री–सेट करना।
6. रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पहचान पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर हेतु डोंगल का सत्यापन करना।
7. जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के प्रपत्रों को आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रारो को समय पर उपलब्ध कराना।
8. राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) पर प्राप्त शिकायतों का तथ्यो एवं दस्तावेजों के आधार पर L-1 स्तर पर ही निस्तारण करवाना।
9. अपने क्षेत्र में जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की आवश्यकता, महत्ता एवं लाभों की जानकारी से आमजन को अवगत कराना।

संलग्नः–मॉनिटरिंग प्रपत्र

(नवीन जैन)
शासन सचिव
आयोजना एवं सांख्यिकी

क्रमांकः– एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2023/618 दिनांकः– 03.07.2024

प्रतिलिपी :–जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग, जिला समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेगें।

शासन सचिव

RajKaj Ref
8466021

Document certified by NAVEEN JAIN <n_j2@rediffmail.com>.

Digitally Signed by NAVEEN JAIN
Designation : Secretary To Government
Date :03-07-2024 10:23:43

जन्म–मृत्यु एंव विवाह पंजीयन के संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन की मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र

ब्लॉक का नाम.. जिला..

क्र. स.	आवेदन प्राप्त होने की दिनांक	संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन का विवरण	आवेदन जिला स्तर पर अग्रेषित करने की दिनांक	आवेदन निस्तारण की दिनांक	निस्तारण नही होने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						